



प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक-06.08.2026

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर के नजूल भूखण्ड संख्या 61 हॉकी क्लब मैदान की भूमि पर हॉकी एस्टोर्टर्फ लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/674207/2026, दिनांक 09.07.2026 एवं पत्र संख्या-1/456185/2026/2025, दिनांक 09.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा प्रस्तावित एवं खेल विभाग के नाम दर्ज भूमि नजूल भूखण्ड संख्या-61 पर हॉकी एस्टोर्टर्फ लगवाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2025/001-1252422025, दिनांक 23.07.2025 द्वारा 1311.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किशत के रूप में ₹0 6,55,86,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदुपरान्त मिट्टी भराई हेतु जिलाधिकारी शाहजहाँपुर की संस्तुति को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन ₹0 1351.88 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत ₹0 1339.91 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / गिट / मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/ दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 9/2022/ ए-1-357/दस-2022-10 (55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बॉट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर एण्ड स्प्लिट ए0सी0 (रु0 0.95 लाख) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, खेल द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा इस कार्यमद की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत वाहय विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रु0 8.00 लाख की धनराशि यथावत् अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।
- (10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये ।
- (11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) वित्त विभाग के कार्यालय-जाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।
- (14) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानिट्रिंग भी की जायेगी।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (19) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(20) प्रश्नगत निर्माण कार्य के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(21) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(22) कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(24) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(25) थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 /1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/1405006/2026, दिनांक 22.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) शासनादेश संख्या-2025/001-1252422025, दिनांक 23.07.2025 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-37-X-2026-27 दिनांक 05/08/2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुमार विनीत)

विशेष सचिव ।

संख्या व दिनांक: तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उ०प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ० प्र० प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 5- क्रीड़ाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ०प्र० शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन ।

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।